

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2667 / 2011 / उदयपुर.

मैसर्स मूमल मार्बल प्रा० लिमिटेड, उदयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-I, वृत्त-B, उदयपुर.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 381 / 2012 / उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-I, वृत्त-B, उदयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मूमल मार्बल प्रा० लिमिटेड, उदयपुर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषकव्यवहारी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषकविभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 05 / 2017

निर्णय

1. उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 05.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-बी, उदयपुर द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 में आरोपित किये गये अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति रुपये 15,04,880/- को अपास्त किया है परन्तु अपीलार्थी की उस मांग को अस्वीकार किया गया है जिसमें उनके द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत कैपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. का क्लेम किया गया था। अपीलीय आदेश से दोनों पक्षकारों ने क्षुब्ध होकर यह अपीलें प्रस्तुत की हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. के क्लेम को अस्वीकार करने के विरुद्ध एवं विभाग की ओर से अतिरिक्त करारोपण को अपास्त करने को चुनौती दी गयी है।

2. ये दोनों अपीलें एक ही आदेश से सम्बन्धित होने तथा दोनों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाती है।

लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग एकाउण्ट में क्लॉजिंग स्टॉक में माल के मूल्यांकन में कमी कर देने के परिणामस्वरूप रूपये 36.48 लाख की अन्तर राशि पर कर आरोपित किया गया एवं इस राशि को छिपायी गयी बिक्री मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गयी। इसके अलावा व्यवहारी की ओर से क्लेम की गई आई.टी.सी. का क्रेडिट कर निर्धारण आदेश में नहीं दिया गया एवं न ही इस बिन्दु पर कोई उल्लेख कर निर्धारण आदेश में किया गया था। कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि वर्ष के प्रारम्भ में माल की कीमत प्रति वर्गफीट से अधिक मूल्य से ली गयी थी परन्तु वर्ष के अन्त में इस मूल्यांकन को कम करते हुए क्लॉजिंग स्टॉक की राशि कम बताई थी परन्तु इस पुनर्मूल्यांकन से माल की मात्रा कम नहीं हुई थी बल्कि माल का केवल मूल्य कम किया गया था जिसे माल की बिक्री नहीं माना जा सकता।
4. अपीलीय आदेश के अन्तिम पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि धारा 18 में जॉब वर्क पर आई.टी.सी. के प्रावधान नहीं होने से क्लेम को अस्वीकार किया जाता है परन्तु किस क्लेम को अस्वीकार किया गया है एवं उसका क्या आधार है इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
6. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी का तर्क है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के पुनर्मूल्यांकन को बिक्री मानने में जो त्रुटि की थी वह अपीलीय अधिकारी ने जांचकर उचित आदेश पारित किया है क्योंकि माल की मात्रा में कोई कमी नहीं की गई थी बल्कि उस माल के विक्रय होने पर तत्समय प्रचलित दरों से कर उद्ग्रहित किया जाना था इस तरह बिना किसी विक्रय के किये गये करारोपण को मय ब्याज एवं शास्ति अपास्त करने में अपीलीय आदेश में कोई भूल नहीं है। इसके अलावा व्यवहारी को उनके द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों में दशाई गई केपिटल गुड्स की आई.टी.सी. को कर निर्धारण आदेश में क्रेडिट नहीं दिया जाना गलत बताते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अविधिक रूप से उनके क्लेम को अस्वीकार किया गया था।




7. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वर्ष 2006-07 में वेट अधिनियम की धारा 18(1)(जी) एवं धारा 2(7) के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्माण हेतु खरीद की गई मशीनरी पर आई.टी.सी. का क्लेम विधि अनुसार अनुज्ञेय था जबकि अपीलीय अधिकारी ने धारा 18 में कोई प्रावधान नहीं होना बताया है जो त्रुटिपूर्ण निर्णय है।
8. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर विधिसम्मत है एवं व्यवसायी द्वारा निर्माण कार्य स्वयं का न करके अन्य व्यक्तियों के लिये जॉब वर्क का कार्य किया गया है अतः जॉब वर्क कार्य के लिये आई.टी.सी. दिया जाने का प्रावधान नहीं है।
9. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के लम्बे समय से चले आ रहे स्टॉक के पुनर्मूल्यांकन करने पर माल की कीमत में कमी को विक्रय बताया जाना अनुचित एवं अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा उस पर कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि अपील स्तर पर एवं कर निर्धारण के समय भी माल की मात्रात्मक दृष्टि से पूरे विवरण प्रस्तुत कर दिये गये थे जिससे माल का विक्रय नहीं होना प्रमाणित था एवं न ही ऐसा कोई साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध था जो किसी माल के विक्रय को प्रमाणित करता हो अतः माल की बिना बिक्री के केवल पुनर्मूल्यांकन के आधार पर आरोपित मांग को अपास्त करने के आदेश की पुष्टि जाती है।
10. कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी व्यवहारी के कॅपिटल गुड्स पर क्लेम की गई आई.टी.सी. को नहीं दिये जाने सम्बन्धी कोई विवरण अंकित नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी का यह कथन है कि उनके द्वारा कॅपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. का क्लेम विधि के प्रावधान के अनुसार किया गया था एवं वर्ष 2006-07 में वेट अधिनियम एवं नियमों में कॅपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. क्लेम के लिये किसी तरह की शर्त अंकित नहीं थी। उनका यह कथन विधिसम्मत है क्योंकि दिनांक 9.3.2011 के पूर्व तक धारा 18(1)(जी) में Being used in state as capital goods का प्रावधान था जो दिनांक 09.03.2011 को being used in the state as manufacture of goods other than exempted goods किया गया था। ऐसी स्थिति में 9.3.2011 के पूर्व कॅपिटल गुड्स पर धारा 18 में आई.टी.सी. का क्लेम उन वस्तुओं के लिये अनुज्ञेय था जो धारा 2(7) की कॅपिटल गुड्स की परिभाषा के अनुसार सम्मिलित योग्य हो। धारा 2(7) को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :-

(3) समीचीन होगा :-





Sec.2(7) "**capital goods**" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;

11. चूंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवसायी की केपिटल गुड्स सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गई है बल्कि अपील स्तर पर एवं हमारे समक्ष विभाग की ओर से यह दलील दी गयी है कि जॉब वर्क के लिये आई.टी.सी. देय नहीं है जो तत्समय प्रचलित प्रावधान अनुसार उचित नहीं है क्योंकि धारा 18(1)(जी) में सभी प्रकार के केपिटल गुड्स पर केवल निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने की शर्त पर आई.टी.सी. देने का प्रावधान था। अतः अपीलीय अधिकारी के निर्णय में इस बिन्दु पर किये गये आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी की केपिटल गुड्स सम्बन्धी खरीद का परीक्षण कर धारा 2(7) एवं धारा 18(1)(जी) के प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य में उपयोग हेतु खरीद किये प्लांट एवं मशीनरी तथा उसके पार्ट्स एवं एसेसरी पर आई.टी.सी. का क्लेम देने का आदेश करें। यह उल्लेख भी किया जाता है कि दिनांक 09.03.2011 के पूर्व करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले केपिटल गुड्स पर भी आई.टी.सी. देने का प्रावधान था। दिनांक 09.03.2011 के बाद खरीद किये जाने वाले उन केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. प्रतिबंधित थी जिसका उपयोग करमुक्त माल के निर्माण में किया जाता है।

12. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील खारिज की जाती है एवं अपीलार्थी व्यवहारी की आई.टी.सी. क्लेम सम्बन्धी अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्त विधि अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल.जैन)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष